Global Journal of Emerging Trend in Education and Social Science
Vol. 1, Issue 1 - 2018

समावेशी शिक्षा

अभिषेख कुमार पाण्डेय*

शिक्षा समाज व मानव दोनों के विकास मे सहायक होती है। शिक्षा के द्वारा न केवल सामान्य व्यक्तियों बल्कि विशिष्ट आवश्यकता वाले व्यक्तियो का भी विकास उचित रूप समे किया जा सकता है। और इस काम के विद्यालय मे दी जाने वाली शिक्षा सबसे सुलभ मानी जाती है। इस कार्य मे अध्यापक, अभिभावक तथा समुदाय मे सभी की सबसे बड़ी अहम भूमिका होती है।

समावेशी शिक्षा की परिभाषा

लिमैन व वालमैन के अनुसार:–

"समावेशी शिक्षा वह शिक्षण है जो बालको मे बढ़ती विभिन्नताओ को ध्यान मे रखता है "

बुथ व युनेस्को के अनुसार–

"स्थानीय विद्यालयो की संस्कृति, पाठ्यक्रम तथा समुदाय में छात्रो की बढ़ती प्रतिभागिता को बढ़ाना तथा उनके अपवर्जन को घटाना, शिक्षा में समावेश के रूप में परिभाषित किया जा सकता है।"

Sibba and Insecow के अनुसार:–

"समावेशी शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसमे विद्यालय अपनी संगठन तथा पाठ्यक्रम के अवसर की समीक्षा करके सभी बालको को एक जैसा मानते हुए प्रतिक्रिया देते है।

Thomas के अनुसार:–

"समावेशी शिक्षा वह शिक्षा है जो विशिष्ट आवश्यक्ताओं वाले बालकों वही विद्यालय अनुभव प्रदान करती है। जैसे–वह उसी विद्यालय मे तबतक शिक्षा प्रदान करती है तथा बिना विशिष्ट आवश्यकता वाले बालक होते हुए भी बालक बिना किसी योग्यता तथा आवश्यकता को ध्यान मे रखकर शिक्षा प्राप्त करते है।"

वारटन के अनुसार–

"समावेशी शिक्षा साधारणत: केवल विशिष्ट आवश्यकता वाले बालकों को साधारण विद्यालय में रखने से संबंधित ढेंजिसके अंतर्गत हम प्रत्येक बालक को प्रभावशाली ढंग से शिक्षित कर सकते हैं।"

समावेशी शिक्षा के अर्थ एव स्वरूप

1. समावेशी शिक्षा प्रणाली में सामान्य विद्यालयों में उनको संरचना एवं भौतिक सुविधाएं निःशक्त (अपंग) छात्र छात्राओं के लिए प्रभावशाली शिक्षण उपलब्ध कराती है।
2. इन सामान्य विद्यालयों में सामान्य बालकों की अपेक्षा उन बालकों को प्रवेश दिया जाता है जो की किसी प्रकार की निर्योग्यता से ग्रसित हो।
3. इन विद्यालयों में विशिष्ट या किसी प्रकार की कमी से ग्रसित बालक अपने उम्र के साथियों के साथ शिक्षा प्राप्त करने का समान अवसर पाते है।
4. इसका उद्देश्य बाधित बालकों को सामान्य शिक्षा प्रणाली में इस प्रकार समावेशित करना है या जो की बाधित व सामान्य बालकों की शिक्षा दोनों प्रकार के समूह के उद्देश्यो को ध्यान में रखते हुए बिना किसी अंतर या भेदभाव के साथ सुचारु रुप से चल सके।

*शोध छात्र, शिक्षक शिक्षा सकाय, नेहरु ग्राम भारती मानित विश्वविद्यालय, इलाहाबाद।
Correspondence E-mail Id: editor@eurekajournals.com

© Eureka Journals 2018. All Rights Reserved.

5. समावेशित शिक्षा बाधित बालकों को अलग (शिक्षा प्रदान) करने की अपेक्षा जैसे कि उन्हे विशिष्ट विद्यालयो या अलग कक्षाओं मे पढ़ाने से होता है।उसी प्रकार की शिक्षा, शिक्षा की मुख्य धारा मे जोड़ने वाली होती है।
6. समावेशी शिक्षा बाधित बालकों को विद्यालय के भिन्न दृभिन्न कार्यक्रमों, शैक्षिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, व्यवसायिक व अन्य कार्यक्रमो मे प्रतिभाग लेकर उनके सम्पूर्ण विकास को अवसर प्रदान करता है।
7. समावेशी शिक्षा विशिष्ट अथवा बाधित बालकों के सामान्य बालकों की भाँती उनकी क्षमता के अनुसार अवसर प्रदान करती है। उनके सीखने में सहयोगात्मक कार्य करती है।
8. किसी भी देश में यदि विशिष्ट विद्यालयो की स्थापना हुई है तो उनकी सख्या बहुत ही कम है। जिनके कारण सभी छात्रों तक यह सुविधाएं नहीं पहुँच पाती है। विकलांग बालकों के पहुँच से दूर होने के कारण धीरे–धीरे सामान्य दृशिक्षा प्रणाली में परिवर्तन किए गये जिनमे एकीकृत विद्यालय (Intigreated School) स्थापित किए गये।

समावेशी शिक्षा की विशेषताएँ

I. **सामुदायिकता की भावना:–** सभी बालकों का सम्मान बिना किसी भेदभाव के किया जाता है जिससे उनमें आपसी भाईचारा तथा अपनेपन की सामाजिक भावना का विकास होता है।

II. **समान दृष्टिकोण**:– शिक्षक सभी छात्रो के प्रति समान दृष्टिकोण रखता है जो समावेशी शिक्षा को अर्थात् समावेशी संस्कृति कों बढ़ावा देता है।

III. **समस्या समाधान टोली:–** इसमें विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चो की समस्या के समाधान हेतु एक बहू दृअनुशासनात्मक टोली का गठन किया जाता है। जिसमे विद्यालय तथा समुदाय दोनों के ही सदस्य सम्मिलित होते हैं।

IV. **अभिभावक साझेदारी (सहयोग)**:– समावेशी शिक्षा मे अभिभावकों को समावेशी समूह का सदस्य बनाया जाता है जिससे कि वह अपने बालकों कि आवश्यक्ताओं तथा अन्य क्रियाकलापों कि विस्तृत जानकारी दे सकें व समय समय–समय पर समावेशी विद्यालय में होने वाले वर्कशॉप मे प्रतिभाग ले सके। वह समस्यात्मक बालकों के लिए सहयोगात्मक व्यवहार अपना सके।

V. **शिक्षक साझेदारी (सहयोग)**:– समावेशी शिक्षा मे नियमित शिक्षको को विशेषज्ञो के साथ मिलकर समस्या का हल खोजने तथा उनके समाधान के लिए प्रशिक्षण प्राप्त कर सके।

VI. **वयवसायिक व्यक्ति कि साझेदारी (सहयोग)**:–सम्पूर्ण सिमावेशी वातावरण का निर्माण करने के लिए सामाजिक स्तर पर सहयोग। निःशक्त जनो को व्यपसायिक प्रशिक्षण प्रदान कर आत्म निर्भर बनाया जाये।

VII. **छात्र–समस्या समाधानकर्ता के रूप मे**:– समावेशी शिक्षा समस्या समाधान मे छात्रोकी साझेदारी भी सुनिश्चित करती है। छात्रो का इस्तेमाल समावेशी शिक्षा मे निम्न प्रकार से हो सकता है।

1. **मध्यस्थ– साथी**:– आपसी विवाद सुलझाने के लिए। सहयोगात्मक व्यवहार अपना कर सहपाठी समावेशी शिक्षा के उद्देश्यों को पूर्ण करने मे अहम भूमिका निभाता हैं।
2. **ट्यूटर–साथी**:– सहपाठी अपने पिछड़े साथियो को शैक्षिक सलाह सहयोग शिक्षण की समस्याओ को दूर करने का सफल प्रयास करता है।
3. **अधिक उम्र ट्यूटर साथी**:– उच्च शिक्षा के छात्र अपने नीचे वाली कक्षा के छात्रो को शैक्षिक समस्याओ, विषय वस्तु के समझने मे सहयोग प्रदान करते है।

© Eureka Journals 2018. All Rights Reserved.

शिक्षण सामाग्री पुस्तक, नोट्स उपलब्ध कराते है, मार्गदर्शन करते है।

4. **सहकारी शिक्षा या सहकारी अधिगम**:– समूह मे छात्र सीखते है। आपस मे होनेवाली समस्याओ का समाधान भी करते है जिसे सहयोग समूह भी कहते है। इस समूह मे शारीरिक नि:शक्त छात्रों को भी सम्मिलित किया जाता है।
5. **साथी–प्रणाली**:– समावेशी शिक्षा में कक्षा में बैठने की व्यवस्था एक निर्धारित दोस्त या साथी के साथ व्यवस्थित किया जाता है जिसे बेन्चमेट (Bench & mate) भी कहा जाता है जो एक दूसरे की समस्याओ का समाधान भी करते हैं।

सामान्य विद्यालय का समावेशी विद्यालय ने परिवर्तन के उपाय:

1. **पाठ्यक्रम**:– क्यो पढ़ाया जाए ऐसे पाठ्यक्रमों का निर्माण करना जिसमें विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों को तथा सामान्य बच्चों को अध्ययन करने के लिए संतुलन स्थापित किया जा सके।
2. **शिक्षण शास्त्र**:– कैसे पढ़ाया जाए ? किस प्रकार की विधियो क प्रयोग किया जाए?, जिसमे विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों को अपने समूह से (साथी समूह) अलग न किया जाए।
3. **शैक्षिक संगठन**:– विद्यालय को इस प्रकार संचालित किया जाए जिससे वह अपने सभी बालकों पर समान रूप से ध्यान दे सके। उचित समय सारणी उचित व्यवस्था तथा विद्यालय संरचना में आवश्यक परिवर्तन किया जाना चाहिए।
4. **कर्मचारियों में सहयोग**:– विद्यालय के समस्त कर्मचारियों में समन्वय कैसे स्थापित किया जाय शिक्षक कक्षा–कक्ष सहायक सहयोगी क्रमचारियों में इतना लचिलापन होना चाहिए कि जिससे उनमे आसानी से समन्वय स्थापित हो सके तथा सभी एक ही लक्ष्य "सभी के लिए शिक्षा की ओर अग्रसर रहे।"
5. **अभिभावक मे सहयोग** :– अभिभावक की भागीदारी कैसे सुनिश्चित की जाय सूचनाओं को साझा करने पाठ्यक्रम प्रदान करने में तथा अन्य व्यवसायिक अभिकारणों के संपर्क बनाने मे अभिभावको की भागीदारी सुनिश्चित करनी चाहिए।
6. **विशेषज्ञों का सहयोग**:– सामान्य विद्यालय को समावेशी विद्यालय बनाने के लिए विशेषज्ञों का सहयोग आवश्यकहै। विशेषज्ञ समय दृसमय पर विद्यालय के शिक्षकों, सहयोगी कर्मचारियों को समयदृ समय पर प्रशिक्षित करते है। तथा समय समय पर त्मतिमेीमत कोर्स कराएं जाते हैं। विशेषज्ञों द्वारा प्रशिक्षण पाठ्यक्रम की योजना तथा मूल्यांकन के बारे में विस्तृत सहयोग प्राप्त करते है।

व्यवसायिक विकास

कर्मचारियों की अभिवृति कैसे विकसित की जाय। व्यवसायिक कुशलता के लिए विद्यालय के समस्त कर्मचारियों को अभिवृति मे सकारात्मक परिवर्तन करने के लिए आवश्यक प्रशिक्षण समय दृसमय पर दिए जाने चाहिए।

समावेशी शिक्षा के महत्व (Importance of Inclusive School)

पहले ऐसा माना जाता था कि नि:शक्त बालकों को अलग से विशिष्ट शिक्षा प्रदान करनी चाहिए क्योकि उनकी आवश्यकताएं सामान्य बालको से अलग होती है परंतु कई आलोचक इस बात को लेकर आलोचना करते है कि विशिष्ट शिक्षा वाले बच्चों अर्थात नि:शक्त बालको में अलग से शिक्षा प्रदान करने पर उनमें हीनता की भावना आ जाती हैं। वे सामान्य बालकों से स्वयं को अलग समझने लगते है। इस समस्या को दूर करने के लिए समावेशी शिक्षा का महत्व और अधिक बढ़ जाता हैं।

© Eureka Journals 2018. All Rights Reserved.

समावेशी शिक्षा के महत्व निम्नलिखित है

निःशक्त (असमर्थ) बालकों के अधिक धन खर्च व व्यवस्था की आवश्यकता होती है इसके लिए विशेष रूप से प्रशिक्षित अध्यापक, डॉक्टर, सहकर्मी की आवश्यकता पड़ती है। जबकि समावेशी विद्यालय मे इस प्रकार की सुविधाएं पहले से उपलब्ध होती है बस थोड़ी परिवर्तन व प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। विशिष्ट बालकों को समावेशी विद्यालयों मे पढ़ाना कम खर्चीला होता हैं इसलिए समावेशी शिक्षा अधिक सस्ती है।

जब असमर्थ बालक को समावेशी विद्यालय मे भेजा जाता है तो वह शैक्षिक रूप से अपने आपको विद्यालय समायोजित कर लेता है तथा उसके मन मे यह विचार नहीं आता कि वह दूसरे बालको से किसी क्षेत्र मे कम है। अध्यापक तथा दूसरे कर्मचारियों का सहयोग व व्यवहार भी उसको अनुकूल परिस्थिति प्रदान करती है तथा बालक शैक्षिक दृष्टि से उन्नति करता है। शिक्षा का उद्देश्य बालकों को केवल शिक्षित करना नहीं बल्कि उनका पूर्ण विकास करना है। सामान्य विद्यालय मे असमर्थ बालको को शिक्षा देने मे उनमे सामाजिक गुणों का विकास भी होता है क्योकि विद्यालय मे समाज के सभी वर्गो के बालक अध्ययन करते है उनके साथ मिलकर असमर्थ बालको मे सामाजीकरण की भावना का विकास होता हैं। असमर्थ बालकों की विशिष्ट शिक्षा अलग विद्यालयों मे निपूर्ण व प्रशिक्षण अध्यापको की देख रेख मे होती है। विशिष्ट विद्यालय मे शैक्षिक उपचार की अपेक्षा चिकित्सकीय उपचार को प्राथमिकता दिया जाता है। पूर्ण रूप से मानसिक मंद बालक बहु–विकलांग बालक को प्रशिक्षित किया जाता हैं।

समावेशी विद्यालय में असमर्थ बालकों को प्राकृतिक वातावरण प्राप्त होता है वो अपने अनुसार विषयो का चयन भी करते है। पाठ्यक्रम लचीला बनाया जाता है जिसे समझने मे उन्हे सरलता और सहजता हो। असमर्थ बालक स्वयं को विद्यालय मे सामायोजित कर लेता हैं। विद्यालय में बिना किसी भेदभाव के सामान्य बालकों की भाति असमर्थ बालको को शिक्षा प्रदान करते हैं। समावेशी शिक्षा के द्वारा असमर्थ बालकों को विद्यालय के साथ–साथ समाज मे भी सम्मान प्राप्त होता है। उपर्युक्त तथ्यों को ध्यान में रखकर हम कह सकते हैं कि विशिष्ट शिक्षा कि अपेक्षा असमर्थ बालकों को समावेशी विदयालयों मे ही शिक्षा प्रदान करनी चाहिए।

समावेशी शिक्षा के दिशा निर्देश

अन्तराष्ट्रिय प्रावधान

वर्ष 1970 मे UNESCO (युनेस्को) ने United Nation Education Science Culture Organization (संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक संगठन) ने अपनी संस्तुति में कहा–"विशेषतः विकासशील देशों के लिए समावेशी शिक्षा अन्य विशिष्ट शिक्षा कार्यक्रमों कि अपेक्षा एक सस्ता विकल्प है।" इसके 10 वर्ष पश्चात वर्ष 1981 मे संयुक्त राष्ट्र ने इस वर्ष को संयुक्त राष्ट्र के रूप में मनाया।इस वर्ष में विकलांग व्यक्तियों पर विभिन्न चर्चाये हुई। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 3 दिसंबर 1982 को संयुक्त राष्ट्र प्रस्ताव धारा 37/52 पारित किया। "विश्व क्रियान्वयन कार्यक्रम के अनुच्छेद–120 में समावेशी शिक्षा पर कहा गया कि जहां तक संभव हो सके शिक्षा बिना किसी भेदभाव के (विकलांग तथा प्रौढ़) सामान्य विद्यालयों में दी जानी चाहिए। वैसे तो यह विश्व क्रियान्वयन कार्यक्रम सभी देशो के लिए लिखा गया है परंतु या विकाशील देशो पर अधिक लागू होता है।

बालिन दिशा निर्देश

संयुक्त राष्ट्र विकलांगता दशक के अंतर्गत आए परिवर्तनों के फलस्वरूप संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 1989 मे विकलांगता के क्षेत्र में मानव

© Eureka Journals 2018. All Rights Reserved.

संसाधन विकास के लिए तालिन्न दिशा निर्देश को स्वीकारा गया है। इन दिशा निर्देश मे बाल्यावस्था व्यवधान तथा सभी स्तरो कि शिक्षा में समावेश (प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च तथा व्यावसायिक शिक्षा) पर कहा गया है साथ ही विकलांग बच्चों के शैक्षिक सामाग्री विभिन्न प्रारूपो मे उपलब्ध कराने पर बल दिया गया है। जैसे भाषायी चिन्हों की व्याख्या करना, पुस्तकों को टेप मे बदलना या ब्रेल मे बदलना, विशिष्ट (कार्यक्रम प्रोग्राम तथा computer, चित्रांकन शैली चलचित्रों की व्यवस्था करना।

इन दिशा निदेशो मे पृथक विद्यालयों कि अपेक्षा सस्ते विकल्प पर बल दिया गया। इसमे विशिष्ट शिक्षा वाले अध्यापक सामान्य शिक्षा वाले अध्यापक के लिए एक सलाहकार हो सकते है तथा विशिष्ट व्याख्यान तथा सामान्य विद्यालयो के संसाधन कक्ष श्रवण बाधितों के व्याख्याता के रूप अपना सहयोग दे सकते हैं।

बालको के अधिकारो के लिए सम्मेलन

वर्ष 1989 बालकों के अधिकारो पर सम्मेलन का वर्ष माना गया ळें संयुक्त राष्ट्र में एक सन्मेलन किया गया था। सम्मेलन को कार्यान्वयन पुस्तिका प्रस्तुत की जिसे संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 48 वे अधिवेशन 20 दिसंबर 1993 को स्वीकार कर लिया |कार्यान्वयन की पुस्तिका में कई बार संशोधन किया गया जिसके एक भाग मे शीर्षक था विकलांग व्यक्तियों के समान अवसर के लिए कुछ सामान्य नियम और अधिकारो की बात कही गयी जिसमें यह तर्क दिया गया कि विकलांग व्यक्तियों के लिए शिक्षा का एक मात्र उपर्युक्त साधन मुख्य धारा वाली शिक्षा ही है। इस प्रकार सामान्य शिक्षा में विकलांगो का समावेश हो सका।

सभी के लिए शिक्षा पर जोमस्टिन सम्मेलन (1990)

जोमस्टिन सम्मेलन 1990 मे युनेस्को (UNESCO) द्वारा कार्य प्रारुप प्रस्तुत किया गया जिससे 155 देशों (राष्ट्र) के 1500 से अधिक अधिकारी सम्मिलित हुए। जो थाईलैंड के जोमस्टिन मे शिक्षा के महत्व पर चर्चा मे सममिलित हुए। सम्मेलन में सार्व भौमिक प्राथमिक शिक्षा तथा प्रौढ़ शिक्षा के लिए विश्व व्यापी प्रायसो पर बल दिया गया। जिसके मुख्य केंद्र बिंदु सभी के लिए शिक्षा रहा है। इस सम्मेलन ने विकलांग व्यक्तियों के लिए भी प्रकार के योजना प्रस्तुत नहीं की गयी।

विशिष्ट आवश्यक्ताओं वाली शिक्षा पर सलामान्का सम्मेलन

संयुक्त राष्ट्र तथा स्पेन की सरकार द्वारा विशिष्ट आवश्यकता वाले शिक्षा पर सलामान्का सम्मेलन स्पेन मे 7 जून से 10 जून तक वर्ष 1994 मे कराया गया। इसमे देश भर के सरकारी तथा गैर–सरकारी संगठनों के प्रतिभागियो (प्रतिनिधियों) ने भाग लिया। इस सममेलन का केंद्र बिन्दु विशिष्ट शिक्षा या पृथक शिक्षा की अपेक्षा समावेश तथा समावेशी के महत्व पर रहा। इसकी प्रस्तावना मे कहा कि हमने सभी सरकारें को आमंत्रित किया है। समावेशी शिक्षा के सिद्धांत को कानून या नीति की तरह स्वीकारने के लिए जिसका उद्देश्य विशिष्ट शिक्षा के संसाधनो का प्रयोग करके समावेशी शिक्षा को अधिक सार्थक बनाना है। इस कार्य प्रारूप मे शिक्षा प्रणाली को समावेशी को समावेश बनाने के लिए जिन परिवर्तनों की आवश्यकता है वे निम्नालिखित है। –

1. पाठ्यक्रम मे बदलाव।
2. स्कूल भवन मे बदलाव।

3. शिक्षण मे परिवर्तन।
4. मूल्यांकन मे परिवर्तन।
5. कर्मचारियों मे परिवर्तन।
6. स्कूल आचार–विचार मे परिवर्तन।
7. अन्य राहगामी क्रियाओ मे परिवर्तन।

संयुक्त राष्ट्र विकलांग व्यक्तियों अधिकार सम्मलेन

13 दिसम्बर 2016 विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों पर सम्मेलन जिसे संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय न्यूयार्क में कराया गया। मार्च 2007 मे वैकल्पिक प्रोटोकॉल द्वारा हस्ताक्षर तथा संपुष्टि हेतु दोबारा खोला गया। जिसमे संयुक्त राष्ट्र सम्मेलनों के इतिहास मे पहले ही दिन सबसे अधिक हस्ताक्षर कर्ताओ ने हस्ताक्षर किए जिसका मुख्य शीर्षक था शिक्षा। जिसे पॉच खंडो में बाटा गया था। प्रथम खड मे विकलागो के लिए अधिकार कि वे मुख्यधारा वाली शिक्षा के समान अवसर प्राप्त करे जैसा कि सामान्य बालक करते है। खंड–2 मे रागावेश पर व्याख्या जिसमे विद्यालयो के स्वरूप मे परिवर्तन, निःशुल्क शिक्षा व्यवस्था विकलांगो को प्राप्त होनी चाहिए। इस खंड–2 के अनुसार समावेश का अर्थ है विकलांग व्यक्तियों को आवास तथा प्रभावशाली व्यक्तिगत सहायता। खंड–3 मे स्कूल तथा समाज मे पूर्ण तथा समान सहभागिता के लिए प्रयुक्त सम्प्रेषण तथा गतिशील उपकरणो की जानकारी। अंतिम दो (4,5) भाग में शिक्षक शिक्षण तथा व्यावसायिक शिक्षा का उल्लेख है। शिक्षको की नियुक्तियों पर चर्चा।

स्वतंत्र भारत मे समावेश शिक्षा संबाधित नीतियाँ

आजादी के बाद भारत के संविधान मे समावेशी शिक्षा के लिए लिखा कि प्रत्येक नागरिक का शिक्षा का मूल अधिकार है सविधान कि धारा 45 मे कहा गया है कि राष्ट्र के संविधान लागू होने के 10 वर्ष के अदर अपने राज्य मे प्रत्येक बालक को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा जब तक वे 14 वर्ष की आयु पूरी न करे शिक्षा प्रदान करने की व्यवस्था करनी होगी। दिसम्बर 2002 में 86 वे रांशोधन किया गया। जिसागे कहा गया है कि राज्य 14 वर्ष तक के बालकों के लिए निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करेगा।

कोठारी आयोग (1964–66) इस आयोग का गठन 1964 मे किया गया। जिसमे अध्यक्ष दौलत सिंह कोठारी थे।भारत सारकार शिक्षा प्रणाली सुधार करने के लिए कार्य योजना तैयार करना चाहती थी इसमें विकलांग व्यक्तियों को सम्मिलित किया गया।

कोठारी आयोग ने कहा –"अब हम विकलांग व्यक्तियों की शिक्षा केवल उपयोगिता के मानवतावाद पर आधारित होकर संचालित नहीं होनी चाहिए। सही व उपयुक्त शिक्षा एक विकलांग बालक अपनी विकलांगता पर जीत प्राप्त करके एक उपयोगी नागरिक बनाती है। सामाजिक न्याय भी इसकी मांग करता है। इस समस्या पर समर्पण दृष्टि डालने पर हमे ऐसा मालूम होता है कि समेकित कार्यक्रमों के प्रयोग की अभिलम्ब आवश्यकता है तथा इन बच्चो को समेकित कार्यक्रमो मे लाने के हर संभव प्रयास होने चाहिय।" फिर 1974 मे समेकित बाल विकास योजना जिसे Intigreated Child Development Sceam (ICDS–1974) जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा संचालित की गयी। इसमें समाज के दुर्बल वर्ग के कुपोषित बालको के लिए पोषण की व्यवस्था या आहार की व्यवस्था की गयी। जिसमे आंगनवाड़ी केंद्र खोले गए है।"

विकलांग बालको की सामेकित शिक्षा योजना (1974)

समाज कल्याण मंत्रालय समाज कल्याण विभाग द्वारा विकलांगो की समेकित शिक्षा

© Eureka Journals 2018. All Rights Reserved.

योजना भी वर्ष 1974 में शुरू हुई। इस कार्यक्रम में विकलांग बालकों के लिए पुस्तकें, यूनिफॉर्म, यातायात सुविधा, विशिष्ट उपकरण, सहयोगी एवं कृतिम अंग हेतु आर्थिक सहायता भी प्रदान की गयी। इस कार्य योजना का क्रियान्वयन प्रभावशाली ढंग से राज्य एवं केंद्र सरकारों द्वारा निर्देशित की गयी।

इस योजना की मुख्य समस्याएँ:–

1. प्रशिक्षित एवं अनुभवी शिक्षकों का अभाव।
2. नियमित स्कूल स्टाफ का विकलांग बच्चों की समस्याओ तथा शैक्षिक आवश्यकताओ की जानकारी का अभाव।

वर्ष 1970 से 1980 तक पूरे देश में 1681 बालक, 181 विद्यालयो मे सुविधा प्राप्त कर सके इस कार्यकाल मे इस बात पर बल दिया गया कि औसत विकलांगता वाले बच्चों को ही समावेशित किया जाए। गंभीर विकलांगता वाले बच्चो को समावेशीत न किया जाए। इस प्रकार समावेशी विद्यालय में पूर्ण समावेश कि बात नहीं कि जा सकती थी। तो पृथककरण कि शिक्षा या विशिष्ट शिक्षा आवश्यक हो जाती हैं।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1986)

राष्ट्रीय शिक्षा नीति वर्ष 1986 में बनी IEDC सामेकित शिक्षा योजनाहै। जिसे Intigreated Education children scream को आगे बढ़ाने के राष्ट्रीय शिक्षा नीति मे भी वही बाते कही गयी। माध्यन विकलांग बालको को समाबेशित किया जाए। गभीर विकलांग बालको पृथककरण या विशिष्ट शिक्षा प्रदान कि जाए। इस शिक्षा नीति मे बहुत से विचारको का निराशा हुई क्योकि धारा–45 के तहत सभी के शिक्षा के विरुद्ध बात हुई। यह नीति 1986 मे बनी लेकिन उसकी कार्य योजना वर्ष 1992 मे लागू की गयी। इस कार्य योजना मे कहा गया कि विकलांग बालक बुनियादी जीवन कौशल अर्जित कर लेता है जो उसे विशिष्ट विद्यालयो के संसाधनो से प्राप्त होते है, मुख्यधारा वाली विद्यालय में समावेशित कर लेना चाहिए। लेकिन इस कार्य योजना में यह परिभाषित नहीं किया गया कि बुनियादी जीवन कौशल कैसे विकसित किए जाय। इस प्रकार विकलांगो को मुख्यधारा से जोड़ने वाली शिक्षा भ्रम की बनी रही। इस नीति मे यह भी कहा गया कि विशिष्ट विद्यालय (स्कूल) विकलांगो के लिए संसाधन के रूप मे काम कराएंगे तथा सामान्य स्कूल इन्हें अधिगम उपलब्ध कराएगे। इस प्रकार यह शिक्षा नीति पूर्ण समावेश की संभावना को कम करती है।

भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम (1992)

सम्पूर्ण भारत ने यह सर्वोपरि केन्द्रीय संस्थान है। जिसके द्वारा विशिष्ट शिक्षा के संचालन के लिए सम्बद्धता के लिए मानक निर्धारित करती है। भारतीय पुनर्वास अधिनियम वर्ष 1992 में लागू किए गये। यह अधिनियम इसलिए भी महत्वपूर्ण रहा है क्योंकि इसके बिना अनुज्ञा पत्र (लाइसेन्स) के शिक्षण संस्था संचालित करने पर एक (1) वर्ष सजा या एक हजार रुपये अर्थदण्ड या दोनों हो सकते है। भारतीय पुनर्वास परिषद विशिष्ट विद्यालयो के लिए एक मानक निर्धारित करती है उन्हे सम्बद्धता प्रदान करती है व विद्यालय की संरचना बनावट भौतिक सुविधाए, पाठ्यक्रम, शिक्षको की नियुक्ति कर्मचारियो की योग्यता तथा विद्यालय मे समय–समय चिकित्सकीय परीक्षण के लिए आधुनिक मानदण्ड तय करती है।

विकलांग व्यक्ति अधिनियम (1955) (People with Disable Act (PDA))

भारत में अब तक विकलांगो के लिए सबसे महत्वपूर्ण अधिनियम रहा है। यह अधिनियम अमेरिका में विकलांगता अधिनियम से जुड़ा है। विकलांगता से संबन्धित अनेकों विषयों के

© Eureka Journals 2018. All Rights Reserved.

संग्रहित किए हुए जैसे उनकी शिक्षा से लेकर नौकरी, व्यवसाय, सहयोगी तथा आरक्षण से जुड़े हुए समस्त बिन्दुओं को निर्धारित करता है। इस अधिनियम ने विकलांगता को सात (7) श्रेणियों में विभाजित किया है। –

- दृष्टी बाधित विकलांग
- कम दृष्टि बाधित विकलांग
- श्रवण बाधित विकलांग
- चलन क्रिया मे बाधित विकलांग
- कुष्ठ रोग से ग्रसित विकलांग
- मानसिक मंदता से ग्रसित विकलांग
- मानसिक रोग से संबंधित विकलांग

विकलांग व्यक्ति अधिनियम में विकलांग की शिक्षा के प्रत्येक बिन्दुओं को अंकित किया गया है इसमें कहा गया है कि विकलांग बालक को जब तक वे 18 वर्ष की आयु प्राप्त न कर ले। स्वतंत्र तथा उपर्युक्त वातावरण मे शिक्षा के अवसर प्राप्त करने का अधिकार है। सामान्य स्कूलों में समाकलन को प्रोत्साहन देने के लिए विशिष्ट आवश्यकता वाले बालकों को लाभान्वित करने के PD। निम्नालिखित सुविधाएं प्रदान करता है।–

- परिवहन सुविधा उपलब्ध कराना।
- भवन की बनावट की बाधाएँ दूर करना।
- निःशुल्क पुस्तकें तथा अध्ययन सामाग्री उपलब्ध कराना।
- छात्रवृति वितरण।
- पाठ्यक्रम पुर्नसंगठन।
- परीक्षा प्रणाली नें सुधार।

इस अधिनियम में शिक्षक प्रशिक्षण के विषय में कहा गया है कि उपर्युक्त शिक्षण प्रशिक्षण कार्यकर्मों की आवश्यकता है जिससे कि प्रशिक्षण प्राप्त शिक्षक इन विकलांग बालकों के साथ आसानी से कार्य कर सके। एक अन्य मुख्य बात जो इस अधिनियम कि एक उपधारा मे कही गयी है। देश के प्रत्येक भाग शहरी व ग्रामीण दोनों के ऐसी सुविधाएँ कराना जिससे कि इन बालकों का समायोजन हो सके और वे पूर्ण रूप से अपने को विद्यालय मे समावेशित कर सके। यह अधिगम प्रभावशाली रूप से लागू नहीं हो सका क्योकि सरकारो कि वितीय सहायता, कार्य योजना को उपलब्ध संसाधन, सराय रो योजना को उपलब्ध नहीं हो सकी। इस अधिनियम का केंद्र बिन्दु विकलांगो का समावेश करना था। इस अधिनियम के अन अतर्गत सामान्य शिक्षको को विशिष्ट शिक्षा का प्रशिक्षण, जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान (DIET) के द्वारा दिया गया।

माध्यमिक स्तर पर विकलागो की समावेशी शिक्षा

वर्ष 2008 में सरकार ने विकलांग बच्चों की समेकित शिक्षा कार्यक्रम में सुधार करके माध्यमिक स्तर पर दिव्यांगो को समावेश शिक्षा नाम दिया। यह योजना 1 अप्रैल 2009 से प्रभाव में आयी। सर्वशिक्षा अभियान के अंतर्गत 6–14 वर्ष तक की आयु के विकलांग बच्चों को संसाधन उपलब्ध कराने के सुधार हेतु बनाया गया था। लेकिन आठ वर्ष की प्रारम्भिक शिक्षा पूर्ण कर चुके विकलांग बच्चों को अपनी पढ़ाई जारी रखने के माध्यमिक स्तर पर भी सामान्य स्कूलो मे समावेशी वातावरण बनाने के लिए सुधार किये गए। इस योजना के अंतगंत 14–18 वर्ष तक के विकलांग बच्चो को 3000 रुपए शैक्षिक सत्र के अनुसार केंद्र सरकार द्वारा धनराशि प्रदान की जाती है। इस प्रकार माध्यमिक स्तर पर भी विकलांग शिक्षा मे भी सुधार हुई है। यह पहली नीति जो माध्यमिक स्तर के विकलांग बालकों के लिए लागू की गयी।

© Eureka Journals 2018. All Rights Reserved.

विकलांग व्यक्तियों की राष्ट्रीय नीति

यह नीति 2006 मे लागू की गयी लेकिन इसकी कार्य योजना 2005 में ही तैयार कर ली गयी थी। विकलांग व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय नीति में सुधार किए गए जो सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत पूर्ण नहीं हो सके थे। उन्हें सानाजिक न्याय तथा सशक्तिकरण मंत्रालय के अधीन संचालित किया गया और विकलांग व्यक्तियों को वर्ष मे 2 बार छमाही सहायता प्रदान की जाती है। विकलांगो की शिक्षा को और प्रभावशाली बनाने के लिए प्रत्येक जिले मे व उसके प्रखण्ड (ब्लॉक) मे ससाधन केंद्र खोले गए। गरीब उन्नमूलन हेतु राष्ट्रीयकृत बैंको द्वारा सहायता राशि व कम ऋण पर वितीय सहायता प्रदान किया जाता है। प्रत्येक विभाग मे रिक्तियों मे 3þ आरक्षण प्रदान किए गए। इस प्रकार इस राष्ट्रीय नीति मे विकलांगो को मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास किया गया।

© Eureka Journals 2018. All Rights Reserved.